भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 213/विविध/2015 तारीख 14.07.2016

<u>निविदा नोटिस</u>

निम्नलिखित विनिर्देशनों के अनुसार 426 सेट थ्री पीस टावेल सेट बम्बई डाइंग मेक (टूलिप ब्रांड) का बाथ टावेल एवं हैंड टावेल तथा एक उत्तम गुणवत्ता का डस्टर) की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित फर्मों, जो सरकारी विभागों के साथ कार्य कर रहे हैं या भारत निर्वाचन आयोग के साथ कार्य किया है, से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(i) बाथ टावेल टूलिप बम्बई डाइंग ब्रांड	75 सेमी X 1.5 मीटर
(ii) हैंड टावेल टूलिप बम्बई डाइंग ब्रांड	40 सेमी X 60 सेमी
(iii) कॉटन डस्टर	47 सेमी X 47 सेमी

निविदा नोटिस के साथ संलग्न विहित फार्मेट में सभी दरें कोट की जाएगी।

2. इच्छुक फर्मों को निदेश दिया जाता है कि वे किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के बीच थ्री-पीस टावेल सेट के अनुमोदित नमूने का निरीक्षण करने के लिए भारत निर्वाचनआयोग के कमरा सं. 302 में अनिवार्य रूप से आएं।

3. निविदा दो बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी तथा वाणिज्यिक बोलियों के अधीन आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे दो पृथक सीलबंद लिफाफे प्रस्तुत करें जिनमें से एक के उपर "**भारत निर्वाचन आयोग को थ्री-पीस टावेल की आपूर्ति के लिए तकनीकी बोली**" तथा दूसरे के उपर "**भारत निर्वाचन आयोग को थ्री-पीस टावेल की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक बोली**" लिखा जाना चाहिए। दोनों सीलबंद लाफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इसके उपर "**भारत निर्वाचन आयोग को थ्री-पीस टावेल की आपूर्ति के लिए निविदा**" लिखा जाना चाहिए।

4. इच्छुक डीलर/फर्म अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण निविदा दस्तावेजों को सचिव (सामान्य प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को तारीख 04.08.2016 तक अपराह्न 3.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए। सीलबंद निविदाएं निर्वाचन भवन के भू-तल पर अवस्थित प्राप्ति एवं प्रेषण (आर एंड आई) अनुभाग में भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग डाक में हुए किसी नुकसान/विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5. सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और इन्हें पहले ही नजर में तुरंत अस्वीकार किया जाएगा।

6. निविदा प्ररूप में सभी प्रविष्टियों पठनीय होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से भरी होनी चाहिए। बोली प्ररूप में ओवर राइटिंग पर कटिंग की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में, निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। तथापि, बोली आवेदन में कटिंग, यदि कोई है, पर निविदा बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आद्याक्षर किया जाना चाहिए।

7. तकनीकी बोलियों को आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति द्वारा निविदाकारों के प्रतिनिधियों, यदि कोई हैं, की उपस्थिति में, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहते हैं, कमरा सं. 203, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में निर्धारित तारीख एवं समय अर्थात तारीख 04.08.2016 को अपराह्न 4.00 बजे खोला जाएगा।

8. केवल उन निविदाकारों की वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोलियां सही पाई जाएंगी। वाणिज्यिक बोलियों के लिए तारीख की सूचना पृथक रूप से दी जाएगी। आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति उन निविदाकारों, जो वित्तीय बोलियों में खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में इन्हें खोलेगी।

9. भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी चरण में कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को भागत: या पूर्णत: स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। संपूर्ण मदों की आपूर्ति क्रय आदेश जारी किए जाने की तारीख से **05** दिवसों के भीतर पूरी की जानी होगी। निविदाकार बोली को सीधे या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि, निविदा, निविदाकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो निविदा पर निविदाकार के विधिक मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

10. निविदा की लागत शून्य है। निविदा दस्तावेज अंतरणीय नहीं है।

11. अधोहस्ताक्षरी निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी होंगे तथा यहां इसके आगे इस संपर्क के प्रयोजनार्थ इस रूप में यथानिर्दिष्ट होंगे।

12. निविदाकार तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :

(क) पी ए ओ, भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **9,000 रु.** की राशि का ई एम डी।

(ख) पैन नम्बर की प्रति।

(ग) टिन नम्बर की प्रति (नवीनतम चालानों की प्रति संलग्न की जाएं)

(घ) पिछले तीन वर्षों (**2013-14, 2014-15** एवं **2015-16** की आय-कर विवरणी की प्रति

(ड.) यह वचनपत्र कि फर्म को किसी संगठन/सरकारी विभागों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया/निवारित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहे बोली के लिए निरर्हित हो जाएंगे।

13. भारत निर्वाचन आयोग के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए निविदा को अंशत: या पूर्णत: स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

14. किसी विवाद की स्थिति में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

15. कार्य को क्रय आदेश की प्राप्ति के **05** दिवसों के भीतर हर दृष्टि से पूरा किया जाना चाहिए। यदि फर्म अनुमोदित नमूना और दर के अनुसार विहित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है तो यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिरोपित शास्ति का सामने करने का भागी होगा।

16. यदि कार्यनिष्पादन में अपरिहार्य अवरोध के आधार पर या किसी अन्य अवरोध के आधार पर कार्य पूरा करने के समय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है तो फर्म ऐसी परिस्थितियों /आकस्मिकताओं, जिनके कारण समय को ऐसा बढ़ाया जाना आवश्यक होता है, का पूरा ब्योरा देते हुए प्रभारी अधिकारी को लिखित में आवेदन करेगा।

17. फर्म को सभी भुगतान प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित राशि के आधार पर जारी किए जाएंगे। कोट की गई दरों में आयोग की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार अपेक्षित वस्तुओं की समुचित आपूर्ति के लिए आवश्यक सभी चीजें कवर होंगी तथा मूल्य में वृद्धि के कारण कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

18. दरें दोनों पार्टियों अर्थात भारत निर्वाचन आयोग एवं प्रस्तावित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समिति द्वारा संस्तुतित आपूर्तिकर्ता के आपसी समझौते पर एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगीं।

भवदीय,

(ए. एन. दास)
सचिव

मूल्य बोली के लिए प्रपत्र

अनुमोदित नमूना के अनुसार थ्री-पीस टावेल सेट (बॉम्बे डाइंग टूलिप मेक का बाथ एवं हैंड टावेल और एक उत्तम गुणवत्ता का डस्टर का मूल्य (सभी करों सहित)	थोक क्रय आदेश की आपूर्ति के लिए कार्टेज प्रभार (रु. में)	कुल